फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

41 सन् 2015 किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र

श्रीमती सुन्दरकुंवर बनाम श्रीमती कमला देवी वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
संयुक्त खातेदारी की भूमि हो उस भूखण्ड की भूमि से संबंधित वाद भी न्यायालय में विचाराधीन हो जिससे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि ग्राम कोटड़ी की भू.नं. 2422/1232 रकबा 0-07 भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो रजिस्टर से खारिज हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द